क्यों लोकसभा अभी भी 543 है

लेखक- रितिका चोपड़ा (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

15 अक्टूबर, 2019

"अनुच्छेद 81 के अनुसार, लोक सभा की संरचना को जनसंख्या में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। लेकिन यह 1971 की जनगणना के आधार पर किए गए परिसीमन के बाद से कमोबेश वैसा ही बना हुआ है। ऐसा क्यों है?"

पिछले हफ्ते, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने कहा कि जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या को तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए। निम्न सदन की रचना कमोबेश चार दशकों से एक जैसी ही है। इस आलेख में हम जानेंगे कि सदन की संरचना कैसे निर्धारित की जाती है और इसमें बदलाव और बदलाव के खिलाफ क्या तर्क हैं?

लोकसभा की ताकत

संविधान का अनुच्छेद 81 लोक सभा या लोक सभा की संरचना को परिभाषित करता है। इसमें कहा गया है कि सदन में 550 से अधिक निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे और इनमें से भी 20 से अधिक संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। अनुच्छेद 331 के तहत, राष्ट्रपति दो एंग्लो-भारतीयों को तब नामांकित कर सकता है, जब उन्हें ऐसा लगे कि सदन में इस समुदाय का प्रतिनिधित्व कम है। वर्तमान में, लोकसभा की शक्ति 543 है, जिनमें से 530 राज्यों को और बाकी केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित की गई हैं।

अनुच्छेद 81 यह भी कहता है कि किसी राज्य को आवंटित लोकसभा सीटों की संख्या ऐसी होगी जो उस संख्या और राज्य की जनसंख्या के बीच का अनुपात हो और जितना संभव हो सके यह अनुपात सभी राज्यों के लिए समान ही रखने की कोशिश की जाती है। हालांकि, यह तर्क उन छोटे राज्यों पर लागू नहीं होता है जिनकी आबादी 60 लाख से अधिक नहीं है। इसलिए, कम से कम एक सीट हर राज्य को आवंटित की जाती है, भले ही इसकी जनसंख्या से सीट का अनुपात उस सीट के लिए योग्य होने के लिए पर्याप्त नहीं हो।

अनुच्छेद 81 के खंड 3 के अनुसार, जनसंख्या का अर्थ, सीटों के आवंटन के उद्देश्य से, 'अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में ज्ञात की गई जनसंख्या है, जिसके संबंधित आंकड़े प्रकाशित किए जा चुके हैं।' दूसरे शब्दों में, अंतिम प्रकाशित जनगणना। लेकिन, 2003 में इस क्लॉज में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार जनसंख्या का अर्थ 1971 की जनगणना के अनुसार होगा, जब तक कि 2026 में जनगणना नहीं हो जाती है।

जब इसे बदल दिया गया

लोकसभा की ताकत हमेशा 543 सीटों की नहीं रही है। मूल रूप से, अनुच्छेद 81 में कहा गया है कि लोकसभा में 500 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। 1952 में गठित पहले सदन में सदस्यों की संख्या 497 थी। चूंकि संविधान जनसंख्या के आधार पर सीटों के आवंटन का निर्धारण करता है, इसलिए निचले सदन की संरचना (कुल सीटों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों को आवंटित

सीटों का पुनर्मूल्यांकन) भी 1971 तक की प्रत्येक जनगणना के साथ भी बदलते रहा है। 2001 तक 'परिसीमन' पर 1976 में अस्थायी रोक लगाई गई। परिसीमन जनसंख्या में बदलाव का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों की सीमाओं के पुनर्विकास की प्रक्रिया है।

हालांकि, 1952, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन अभ्यास के साथ सदन की रचना नहीं बदली। अन्य परिस्थितियाँ भी थीं। उदाहरण के लिए, लोकसभा की रचना में पहला बदलाव 1953 में मद्रास राज्य के पुनर्गठन के बाद हुआ। आंध्र प्रदेश के एक नए राज्य के साथ, मद्रास की 75 सीटों में से 28 आंध्र प्रदेश में चली गईं। लेकिन सदन की कुल ताकत (497) नहीं बदली।

पहला बड़ा बदलाव 1956 में राज्यों के समग्र पुनर्गठन के बाद हुआ, जिसने देश को 14 राज्यों और छह केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया। इसका संबंध मौजूदा राज्यों की सीमाओं में बाद में हुए बदलाव से था और इसलिए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन में बदलाव हुए। इसलिए पुनर्गठन के साथ, सरकार ने संविधान में भी संशोधन किया जिसके बाद राज्यों को आवंटित सीटों की अधिकतम संख्या 500 रह गई, लेकिन छह केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अतिरिक्त 20 सीटें (अधिकतम सीमा भी) जोड़ी गईं। इसलिए 1957 में चुनी गई दूसरी लोकसभा में 503 सदस्य थे। इसके बाद के वर्षों में, निचले सदन की संरचना भी बदलती रही, जब 1966 में हरियाणा राज्य को पंजाब से बाहर निकाला गया और जब 1961 में गोवा तथा दमन और दीव को मुक्त कर दिया गया और बाद में भारतीय संघ में विलय कर दिया गया।

इस पर रोक क्यों लगाई गयी

अनुच्छेद 81 के अनुसार, लोक सभा की संरचना को जनसंख्या में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। लेकिन यह 1971 की जनगणना के आधार पर किए गए परिसीमन के बाद से कमोबेश वैसा ही बना हुआ है। ऐसा क्यों है?

जनसंख्या-सीट अनुपात, जैसा कि अनुच्छेद 81 के तहत अनिवार्य है, सभी राज्यों के लिए समान होना चाहिए। यद्यपि अनायास ही, इसका तात्पर्य यह भी था कि जनसंख्या नियंत्रण में बहुत कम रुचि लेने वाले राज्यों की संसद में अधिक संख्या हो सकती हैं। परिवार नियोजन को बढ़ावा देने वाले दक्षिणी राज्यों ने अपनी सीटें कम होने की संभावना का सामना किया। इन्हीं आशंकाओं को दूर करने के लिए, 1976 में इंदिरा गांधी के आपातकालीन शासन के दौरान संविधान में संशोधन किया गया, जो 2001 तक परिसीमन को स्थगित करता है।

निषेध के बावजूद, कुछ ऐसे अवसर आए हैं जिन्होंने किसी राज्य को आवंटित संसद और विधानसभा सीटों की संख्या में पुनः समायोजन के लिए मजबूर किया है। इनमें 1986 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम द्वारा प्राप्त राज्य का दर्जा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए एक विधान सभा का निर्माण और उत्तराखंड जैसे नए राज्यों का निर्माण शामिल हैं।

हालाँकि 2001 की जनगणना के बाद से लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या पर रोक हटा दी जानी चाहिए थी, लेकिन एक और संशोधन ने इसे 2026 तक टाल दिया। यह इस आधार पर था कि 2026 तक पूरे देश में एक समान जनसंख्या वृद्धि दर हासिल की जाएगी। तो, अंतिम परिसीमन अभ्यास, जो जुलाई 2002 में शुरू हुआ और 31 मई, 2008 को समाप्त हुआ, 2001 की जनगणना के आधार पर आयोजित किया गया था और मौजूदा लोकसभा और विधानसभा सीटों का पुनः समायोजन किया गया और एससी तथा एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को फिर से बढ़ाया गया।

1970 के बाद से कुल सीटों के बचे होने के साथ, यह महसूस किया जा रहा है कि उत्तर भारत के राज्यों, जिनकी आबादी देश के बाकी हिस्सों की तुलना में तेजी से बढ़ी है, को अब संसद में कम करके आंका जा रहा है। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि यदि अनुच्छेद 81 के मूल प्रावधान को लागू किया जाता, तो आज उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के पास अधिक सीटें होती और दक्षिण के राज्यों के पास कम सीटें होती।

लोकसभा का गठन

परिचय

- प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल, 1952 को हुआ था। इसकी पहली बैठक 13 मई, 1952 को हुई थी। लोकसभा के गठन के संबंध में संविधान के दो अनुच्छेद, यथा 81 तथा 331 में प्रावधान किया गया है।
- मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निर्धारित की गयी थी, किन्तु बाद में इसमें वृद्धि की गयी। 31वें संविधान संशोधन, 1974 के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 547 निश्चित की गयी। वर्तमान में गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि लोकसभा अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है।
- अनुच्छेद 81(1) (क) तथा (ख) के अनुसार लोकसभा का गठन राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 530 से अधिक न होने वाले सदस्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 20 से अधिक न होने वाले सदस्यों के द्वारा किया जाएगा।
- इस प्रकार लोकसभा में भारत की जनसंख्या द्वारा निर्वाचित 550 सदस्य हो सकते हैं। अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिला हो तो वह आंग्ल भारतीय समुदाय के दो व्यक्तियों को लोकसभा के लिए नामनिर्देशित कर सकता है। अत: लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है।
- यह संख्या लोकसभा के सदस्यों की सैद्धान्तिक गणना है और व्यवहारत: वर्तमान समय में लोकसभा की प्रभावी संख्या 530 (राज्यों के प्रतिनिधि) + (संघ क्षेत्रों के प्रतिनिधि) + 2 राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित = 545 है।

स्थानों का आवंटन

- लोकसभा में स्थानों को आवंटित करने के लिए दो प्रक्रिया अपनायी जाती हैं–
- पहला प्रत्येक राज्य को लोकसभा में स्थानों का आबंटन ऐसी रीति से किया जाता है कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो, तथा
- दूसरा प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो।

आंकड़ों का आधार

- उक्त दोनों कार्य ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से, जिसे संसद विधि द्वारा सुनिश्चित करे, प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर प्रकाशित सुसंगत आंकड़ों के आधार पर किये जाते हैं। लेकिन 42वें संविधान संशोधन, 1976 के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया है कि जब तक 2001 की जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते, तब तक लोकसभा की सदस्य संख्या 545 ही रहेगी। 91वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा अब यह व्यवस्था 2026 तक यथावत बनी रहेगी।

परिसीमन अधिनियम

- लोकसभा में राज्यों के स्थानों के आवंटन तथा राज्यों को प्रादेशिक क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए संसद द्वारा परिसीमन अधिनियम, 1952 पारित किया गया है।
- परिसीमन अधिनियम, 1952 में प्रावधान किया गया है कि संसद प्रत्येक जनगणना के सुसंगत आंकड़ों के प्रकाशन के बाद परिसीमन आयोग का गठन करेगी।
- इस परिसीमन अधिनियम के अधीन त्रिसदस्यीय परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, जिसे नवीनतम जनगणना के आँकड़ों के आधार पर लोकसभा में विभिन्न राज्यों को स्थानों के आवंटन को, प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के कुल स्थानों का तथा लोकसभा और राज्य की विधान सभा के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का पुन: समायोजन करने का

कर्त्तव्य सौंपा जाता हैं। इस प्रकार गठित आयोग ने 1974 में लोकसभा में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के स्थानों का आवंटिन किया था, जिसके अनुसार 530 स्थान राज्यों के लिए तथा 13 स्थान संघ राज्यक्षेत्रों के लिए आवंटित किये गये थे।

चौथा परिसीमन आयोग

- लोकसभा व विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने के लिये न्यायामूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में चौथा परिसीमन आयोग का गठन वर्ष 2001 में किया गया। आयोग ने अपना कार्य 2004 में प्रारम्भ किया। प्रारम्भ में परिसीमन का कार्य 1991 की जनगणना के आधार पर किया जाना था, परन्तु 23 अप्रैल, 2002 को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने इससे संबंधित एक संशोधन विधेयक को अनुमोदित करते हुए यह निर्धारित किया कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अब 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा।
- इसके लिए परिसीमन (87वां संशोधन) अधिनियम, 2003 को अधिनियंत्रित किया गया। निर्वाचन क्षेत्रों का यह परिसीमन 30 वर्षों के पश्चात् न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता वाले चौथे परिसीमन आयोग ने अपना कार्यकाल 31 मई, 2008 को समाप्त घोषित किया। हालांकि आयोग का कार्यकाल 31 जुलाई, 2008 तक निर्धारित था।
- आयोग ने अपने कार्यकाल में लोकसभा के 543 एवं 24 विधानसभाओं के 4120 निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया है। पाँच राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैण्ड और झारखण्ड में परिसीमन नहीं किया जा सका है, जबकि जम्मू-कश्मीर के लिए इसे लागू नहीं किया गया था। इन छः राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्यों में नये परिसीमन के आधार पर मतदाता सूचियाँ तैयार की गई हैं।
- परिसीमन आयोग ने सरकार से यह संस्तुति की है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों के लिए रोटेशन लागू करना चाहिए। इसके लिए 2002 के परिसीमन अधिनियम के साथ-साथ संविधान में भी संशोधन करना होगा। इसके साथ ही आयोग ने अब प्रति 10 वर्ष बाद नई जनगणना के आधार पर परिसीमन कराने की सिफारिश की है।
- आयोग ने लोकतंत्र के तीनों चरणों पंचायत, विधान सभा और लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन सुगम बनाये रखने के लिए आगामी जनगणना पंचायत के आधार पर कराने की संस्तुति की है।
- आयोग की यह सिफारिश उसकी रिपोर्ट का भाग नहीं है, अतः यह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। देश में पहला परिसीमन आयोग 1952 में, दूसरा 1962 में और तीसरा ऐसा आयोग 1973 में गठित किया गया था।

Committed To

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-**

   1. अनुच्छेद-81 में लोक सभा की संरचना में देश के कुल जनसंख्या के प्रतिनिधित्व का प्रावधान निहित है।
   2. लोकसभा में सीटों का परिसीमन 1971 की जनगणना पर बनी हुई है इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है।
   3. पुनः परिसीमन होने पर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश जैसे-राज्यों के पास अधिक एवं दक्षिण राज्यों के पास कम सीटें होंगी।

   उपर्युक्त में से कौन से कथन असत्य हैं?

   (a) 1 और 2 (b) 2 और 3

   (c) 1, 2 और 3 (d) इनमें से कोई नहीं

Expected Questions (Prelims Exams)

1. **Consider the following statements in the context of the Lok Sabha.**

   1. Article -81 contains the provision for representation of the total population of the country in the composition of the Lok Sabha.
   2. The delimitation of seats in the Lok Sabha remains on the 1971 census and there is a need of change.
   3. On redelimitation, states like Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh will have more seats and southern states will have less seats.

   statements given above are correct?

   (a) 1 and 2 (b) 2 and 3

   (c) 1 , 2 and 3 (d) None of these

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: लोकसभा जनता के वास्तविक प्रतिनिधित्व का केंद्र होती है। भारत की विशाल जनसंख्या के संदर्भ में वर्तमान प्रतिनिधित्व तार्किक प्रतीत नहीं होता। ऐसे में क्या वर्तमान परिसीमन व्यवस्था में बदलाव एक बेहतर कदम होगा? **(250 शब्द)**

The Lok Sabha is the center of the actual representation of the people. The present representation does not seem logical in the context of the large population of India. Would a change in the current delimitation system be a better move?

(250 Words)

नोट : 14 अक्टूबर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (d) होगा।